**न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद–अमरोहा**

वाद सं0–1238 / 2023

अ0 सं0–31 / 2023

**राज्य..................प्रति...........राशिद।**

धारा 307,414,482 भा0दं0सं0 व धारा 3 / 25 आयुद्ध अधिनियम

थाना–रजबपुर, जिला अमरोहा।

**सत्र सुपुर्दगी का आदेश**

**20.02.2024:–** थाना रजबपुर, जिला अमरोहा की पुलिस ने अभियुक्त **राशिद** के विरूद्ध अपराध सं0 31 / 2023, अंतर्गत धारा 307,414,482 भा0दं0सं0 व धारा 3 / 25 आयुद्ध अधिनियम थाना रजबपुर, जिला अमरोहा के मुकदमें में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

अभियुक्त जिला कारागार से उपस्थित आया। अभियुक्त को धारा 207 दं0प्र0सं0 के तहत गवाहों के बयानात की नकलें एवं अन्य प्रपत्र दिये जा चुके हैं। धारा 207 दं0प्र0सं0 के प्राविधानों का अनुपालन किया गया है।

यह मुकदमा अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः यह मुकदमा माननीय सत्र न्यायालय को सत्र सुपुर्द किया जाता है। अभियुक्त जेल में है, उसे जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विचारण के दौरान व समाप्त होने तक जेल प्रतिप्रेषित किया जाता है। सरकारी अधिवक्ता सूचित हो। अहलमद कलैण्डर आफ एवीडेंस बनाकर पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अभियुक्त माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.03.2024 को उपस्थित हों।

एस0डी0 / –

**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**जनपद–अमरोहा।**
**20.02.2024**